समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021

(दिनांक 31.12.2022 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021	91 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2021	11.11.2021
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता एवं आर.ई.सी. पद्धति का क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022	97 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2022	31.12.2022

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

क्र. 91 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2021—विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 86(1)(ई) राज्य आयोग को समादेशित करती है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोजकता उपलब्ध कराने एवं किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय करने हेतु समुचित उपाय करें और किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में, विद्युत की कुल खपत के किसी प्रतिशत को ऊर्जा के ऐसे स्त्रोतों से क्रय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करे।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति 2016, द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों को दायित्व भी दिया गया है, कि उस क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की उपलब्धता और खुदरा दरों पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत क्रय हेतु एक न्यूनतम प्रतिशत तय करे। इसके अतिरिक्त आयोग भी यह सुनिश्चित करें कि मार्च 2022 तक, सौर ऊर्जा की खपत, कुल खपत के 8 प्रतिशत या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्तर तक पहुँच जाए।

तद्नुसार, भारत सरकार वर्ष 2022 तक 175 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को विकसीत करने पर बल दे रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, अधिनियम की धारा 86(1)(इ) सहपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, एतद् द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संचरना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 2021–2024 के अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2021 निम्नलिखित बनाता हैः–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2021

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021 कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1.3 ये विनियम, 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(I) **''अधिनियम''** अर्थात समस्त संशोधनों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) है;

(II) **''केप्टिव उपभोक्ता''** का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 (2) में परिभाषित किया गया है;

(III) **''केन्द्रीय अभिकरण''** अर्थात वह अभिकरण जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर अभिहित किया जाए;

(IV) **''केन्द्रीय आयोग''** अर्थात अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

(V) **''प्रमाण पत्र''** अर्थात ऐसा प्रमाण पत्र, जिसे केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विहित पद्धतियों के अनुसार और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अनुसरण में जारी किया गया हो;

(VI) **''आयोग''** अर्थात् अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(VII) **''को–जनरेशन''** अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा (विद्युत) उत्पादित करती हो;

(VIII) **''मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना''** अर्थात् ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक से पूर्व की है;

(IX) **''न्यूनतम निर्धारित मूल्य (फ्लोर प्राईस)''** अर्थात् वह न्यनूतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर और जिससे अधिक मूल्य पर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(X) **''अधिकतम मूल्य (फोरबियरेंस मूल्य)''** अर्थात् वह अधिकतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके भीतर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(XI) **''जलविद्युत क्रय दायित्व''** से अभिप्रेत है कि ऐसी बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं, जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पश्चात् का है एवं ऐसी परियोजनाओं जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पूर्व का है, से उनकी अबंधित (विद्युत क्रय अनुबंध रहित) विद्युत क्रय करने की बाध्यता;

(XII) **''बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं''** से अभिप्रेत है, ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी स्थापित उत्पादन क्षमता 25 मेगा वॉट से अधिक है तथा जिनका वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 08/03/2019 के पश्चात् का है;

(XIII) **''नवीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना''** अर्थात् ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक प्रचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात् की है;

(XIV) **''विद्युत विनिमय''** अर्थात् विद्युत के शक्ति विनिमय के रूप में संचालित कोई विनिमय जो केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेश (आदेशों) के अर्थ में किया जाता है;

(XV) **''दायित्वीकृत एकक (औब्लिगेटेड एन्टिटी)''** अर्थात् ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता जो केप्टिव विद्युत संयंत्र का स्वामी है, मुक्त उपयोग ग्राहक जिसमें ऐसा मुक्त उपयोग ग्राहक सम्मिलित है जो अंशतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी से और/अथवा अंशतः छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त उपयोग के माध्यम से, विद्युत की आवश्यकता पूर्ति करता है, एवं जिसे इन विनियमों के अधीन विनियम–3 में दर्शायी गई दशाओं में नवीकरणीय क्रय दायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा करना है;

(XVI) **''क्रय की मात्रा''** अर्थात् इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वाधीन एकक (एककों) द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से वांछित विद्युत क्रय का वह भाग जो उनके कुल उपभोग एल.व्ही., एच.व्ही. और ई.एच.व्ही. विक्रय का योग के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो;

(XVII) **''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत''** अर्थात् नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे जल, पवन, सौर, जैविक जिसमें सम्मिलित है बगास, जैविक ईंधन आधारित सह–उत्पादन, नगरीय अथवा म्यूनिसिपल अपशिष्ट, बडे. जल संयंत्र (जो 08 मार्च 2019 के पश्चात् वाणिज्यिक संचालन में आए हो) और ऐसे अन्य स्त्रोत, जिन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन (एम.एन.आर.ई.) द्वारा मान्यता अथवा अनुमोदन प्रदान किया जाए;

(XVIII) **''छोटे जल विद्युत संयंत्र''** अर्थात ऐसे जल विद्युत केन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 25 मेगावॉट तक और उससे कम है, जिसमें सम्मिलित हैं लघु तथा सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र;

(XIX) **''राज्य''** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य;

(XX) **''राज्य अभिकरण''** अर्थात्श्वह अभिकरण जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मान्यता देने, पंजीयन हेतु अनुशंसा करने एवं इन विनियमों के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।

(XXI) **''वर्ष''** अर्थात् कोई वित्तीय वर्ष।

2.2 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वहीं अर्थ होंगे जैसे अधिनियम में है। ऐसी अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में और अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है परन्तु, विधान मण्डल द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू होने वाली किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा उस अधिनियम में दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त ऐसी अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों अथवा अधिनियम अथवा किसी सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ सामान्यतः वही होगा जैसा विद्युत उद्योग में सामान्यतः प्रचलित है।

3. दायित्वीकृत एकक और संचालन अवधिः

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ–साथ मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर, निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत रहते हुए, विनियम 4.3 के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत प्रयोज्य होगाः–

I. कोई व्यक्ति जो एक मेगावॉट और अधिक (अथवा कोई ऐसी अन्य क्षमता जिसे आयोग के आदेश द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए) की संयोजित क्षमता का को–लोकेटेड और नान को–लोकेटेड केप्टिव उपयोगकर्ता है; पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को, केप्टिव स्त्रोत के माध्यम से उसके द्वारा उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

परन्तु ऐसे केप्टिव उपयोगकर्ता, जो केप्टिव उपयोगकर्ता के खपत की बाध्यता किसी वित्तीय वर्ष के लिए, जैसा कि विद्युत नियम 2005 में परिभाषित है को न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) इसके खपत पर लागू होगा।

II. कोई व्यक्ति, जिसके पास एक मेगावॉट एवं इससे अधिक की संविदा मांग है (नवीकरणीय ऊर्जा के अतिरिक्त क्रय) एवं उपयोगकर्ता उसके क्षेत्र के वितरण अनज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय अनुबंध नहीं किया है किन्तु विद्युत का उपयोग, मुक्त उपयोग विनियम के तहत् किसी व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा, से विद्युत अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत कर रहा हो वह भी पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को उक्त माध्यम से उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसके पास एक मेगावॉट एवं इससे अधिक की संविदा मांग है एवं उपयोगकर्ता उसके क्षेत्र के वितरण अनज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय अनुबंध किया है किन्तु विद्युत का उपयोग, मुक्त उपयोग विनियम के तहत् किसी व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा, से विद्युत अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत कर रहा हो वह भी पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को उक्त माध्यम से उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

ऐसे दायित्वीकृत एकक जो किसी वर्ष में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व जैसा कि विनियम 4 में विर्निदष्ट है, अपने स्वयं के जीवाश्म ईधन पर आधारित को–जनरेशन विद्युत संयंत्र से खपत कर रहें हों, नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व से मुक्त रहेंगे। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व जैसा कि विनियम 4.3 में विनिर्दिष्ट है, से कम खपत करने की दशा में दायित्वीकृत एकक को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व पूर्ण करना होगा।

परन्तु, आयोग यदि चाहे तो अपने आदेश से उपरोक्त उप अनुच्छेद (I) और उप अनुच्छेद (II) के अधीन संदर्भित न्यूनतम क्षमता को समय–समय पर पुनरीक्षित कर सकेगा।

परन्तु, मुक्त उपयोगकर्ता एवं केप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय/खपत की जा रही ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय दायित्व के निवर्हन हेत समायोजित किया जावेगा।

[1][इन विनियमों के तहत ढाली गयी आर.पी.ओ. पद्धति 1 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ होगी और सामान्यतः 31 मार्च, 2030 (अर्थात वित्तीय वर्ष 2029–30 तक) लागू रहेगी। वित्तीय वर्ष 2029–30 हेतु विनिर्दिष्ट आर.पी.ओ. 2029–30 से परे जारी रहेगी जब तक इस संबंध में आयोग द्वारा पुनरीक्षण प्रभावी ना किया गया हो।][1]

1. विनियम क्रमांक 97/सी.एस.ई.आर.सी./2022 द्वारा दिनांक 31.12.2022 से प्रतिस्थापित

4. दायित्वीकृत एकक हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा–

4.1 दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व हेतु कुल खपत की गणना निम्नानुसार होगीः–

क्रमांक	दायित्वीकृत एकक	कुल खपत
1	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	LV, HV और EHV विक्रय का योग
2	को–लोकेटेड केप्टिव उपयोगकर्ता	सकल उत्पादन में से ऑक्जीलरी खपत एवं ग्रिड में डाले गये कुल ऊर्जा को घटाकर प्राप्त खपत
3	नान को–लोकेटेड केप्टिव उपयोगकर्ता	केप्टिव ऊर्जा संयंत्र से ग्रिड के माध्यम से केप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा खपत की गई वास्तविक ऊर्जा
4	को–लोकेटेड अंतिम उपयोगकर्ता जो कि विद्युत नियम 2005 के तहत् केप्टिव उपयोगकर्ता हेतु पात्रता नहीं रखते।	सकल उत्पादन, ऑक्जीलरी खपत एवं ग्रिड में डाले गये कुल ऊर्जा को हटाकर
5	मुक्त उपयोग ग्राहक	मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा खपत की गई विद्युत

4.2 [1][समस्त नवीकरणीय ऊर्जा क्रय, सीधे उत्पादन स्थानकों से अथवा व्यापारी के जरिये अथवा विद्युत विनिमय केंद्रों के जरिये, आर.पी.ओ. के निर्वहन में मान्य होगी;

आर.पी.ओ. के निर्वहन हेतु, प्रतिबद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा जैव–ईंधन आधारित उत्पादन संयंत्रों तथा जैव–ईंधन सह–दहन करने वाले कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के साथ किये गये दीर्घ–कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के तहत नवीकरणीय विद्युत क्रय ही मान्य की जाएगी।

प्रतिबद्ध प्रतिष्ठानों के द्वारा दीर्घ–कालीन, मध्य–कालीन, लघु–कालीन व्यवस्थाओं के तहत, जैव–ईंधन सह–दहन करने वाले जैव–ईंधन कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों यथा लघु जलीय, विशाल जलीय, पवन, सौर, से की गयी क्रय, आर.पी.ओ. के निर्वहन हेतु मान्य की जाएगी।

जैव–ईंधन सह–दहन करने वाले कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों, स्वयं–उपभोग एवं सह–उत्पादन करने वाले विद्युत संयंत्रों सहित, से उत्पादित विद्युत, प्रतिबद्ध प्रतिष्ठानों यथा सह–स्थित, गैर–सह–स्थित स्वयं उपयोगकर्ता एवं सह–स्थित अंतिम उपयोगकर्ता जो विद्युत नियम 2005 के तहत स्वयं–उपयोगकर्ता के रूप में योग्य नहीं हैं, के आर.पी.ओ. के निर्वहन हेतु मान्य होगी।

जैव–ईंधन सह–दहन करने वाले कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों, सह–दहन करने वाले स्वयं–उपभोग एवं सह–उत्पादन विद्युत संयंत्रों सहित, से जैव–ईंधन से उत्पादित विद्युत के प्राक्कलन की क्रियाविधि संलग्नक 'अ' के अनुसार होगी।][1]

4.3 नवीकरणीय क्रय दायित्व का परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका 1 में दिया गया है–

तालिका 1: दायित्वीकृत एकक द्वारा कुल खपत के प्रतिशत के रूप में प्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा [1][

वर्ष	सौर	गैर–सौर		योग
		एच.पी.ओ.	अन्य	
2021–22	10.50%	0.18%	10.5%	21.18%

1. विनियम क्रमांक 97 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2022 द्वारा दिनांक 31.12.2022 से प्रतिस्थापित

वर्ष	पवन आर.पी.ओ.	एच.पी.ओ.	अन्य एच.पी.ओ.	कुल आर.पी.ओ.
2022—23	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%
2023—24	1.60%	0.66%	24.81%	27.08%
2024—25	2.46%	1.08%	26.37%	29.91%
2025—26	3.36%	1.48%	28.17%	33.01%
2026—27	4.29%	1.80%	29.86%	35.95%
2027—28	5.23%	2.15%	31.43%	38.81%
2028—29	6.16%	2.51%	32.69%	41.36%
2029—30	6.94%	2.82%	33.57%	43.33%

(अ) पवन आर.पी.ओ. का निर्वहन, 31 मार्च 2022 के बाद कार्यार्पित पवन ऊर्जा परियोजना (डबल्यु.पी.पी) द्वारा उत्पादित ऊर्जा तथा 31 मार्च 2022 तक कार्यार्पित डबल्यु.पी.पी. से **7%** से ऊपर खपत पवन ऊर्जा से होगा।

(ब) एच.पी.ओ. का निर्वहन, 8 मार्च 2019 के बाद कार्यार्पित जलीय परियोजना (पम्प्कृत भण्डारण परियोजना (पी.एस.पी.) तथा लघु जलीय परियोजना (एस.एच.पी.) सहित) से उत्पादित ऊर्जा से होगा।

(स) अन्य आर.पी.ओ. का निर्वहन किसी भी नवीकरणीय विद्युत परियोजना जो उपरोक्त (अ) एवं (ब) में उल्लेखित नहीं है, से उत्पादित ऊर्जा से किया जा सकता है।

(द) किसी वर्ष विशेष में अन्य आर.पी.ओ. श्रेणी में बकाया कमी का निर्वहन, 31 मार्च 2022 के बाद कार्यार्पित डबल्यु.पी.पी. से अधिक ऊर्जा खपत, उस वर्ष की 'पवन आर.पी.ओ.' से परे अथवा 8 मार्च 2019 के बाद कार्यार्पित पात्रताधारी जलीय परियोजना (पी.एस.पी. एवं एस.एच.पी. सहित) से अधिक ऊर्जा खपत, उस वर्ष की 'एच.पी.ओ.' से परे अथवा अंशतः दोनों से किया जा सकता है। आगे यह कि किसी वर्ष विशेष में 'पवन आर.पी.ओ.' का निर्वहन, जलीय विद्युत संयंत्रों से उस वर्ष की 'एच.पी.ओ.' से अधिक खपत हुई ऊर्जा से तथा व्युतक्रम से किया जा सकता है।

(ई) सकल ऊर्जा खपत का निम्नांकित प्रतिशत, सौर/पवन ऊर्जा भण्डारण सहित/मार्फत होगा।

वित्तीय वर्ष	भण्डारण (ऊर्जा आधारित)
2023—24	1.0%
2024—25	1.5%
2025—26	2.0%
2026—27	2.5%
2027—28	3.0%
2028—29	3.5%
2029—30	4.0%

उपरोक्त सारणी में ऊर्जा भण्डारण प्रतिबद्धता की गणना सकल विद्युत खपत के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा के स्वरूप में की जाएगी तथा तब निर्वाहित मानी जाएगी जब ऊर्जा भण्डारण प्रणाली में भण्डारित सकल ऊर्जा का कम से कम 85% वार्षिक आधार पर नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय किया जाये।

ऊर्जा भण्डारण प्रतिबद्धता, नवीकरणीय स्त्रोतों से भण्डारित ऊर्जा तक, 'कुल आर.पी.ओ. 'के निर्वहन का भाग मानी जाएगी।

1. विनियम क्रमांक 97/सी.एस.ई.आर.सी./2022 द्वारा दिनांक 31.12.2022 से प्रतिस्थापित

परंतु यह कि वर्ष 2022–23 तथा उससे परे आर.पी.ओ. एवं ऊर्जा भण्डारण प्रतिबद्धता, एम.ओ.पी./ एम.एन.आर.ई. के द्वारा विनिर्दिष्ट सुधार/संशोधनों, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।][1]

परन्तु, यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से दीर्घ अवधि हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत ऐसे विद्युत के क्रय जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पहले ही निष्पादित किया जा चुका है, उनकी मौजूदा वैधता तक किए जाते रहेंगे, फिर भले ही ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत कुल क्रय, उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रतिशत की अनुबन्धों की सीमा से अधिक हो जावें और वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा सीमा से अधिक किये गये क्रय को पिछले वर्षो अथवा आगामी वर्ष के दायित्व में समायोजित किया जावेगा।

परन्तु, यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त वांछित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्यों का अनुपालन करने हेतु अपनी दीर्घ अवधि विद्युत पूर्ति योजना के अन्तर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्राप्त करने की योजना बनायेगा।

परंतु यह भी कि ऐसे केप्टिव उपभोगकर्ताओं के लिये, जो उन केप्टिव उत्पादन संयंत्रों की विद्युत का उपयोग करते हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन 01 अप्रैल 2016 के पूर्व प्रारंभ हुआ हो, वही नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य लागू होगा, जो वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित था अर्थात् 1 प्रतिशत सौर तथा 6.25 प्रतिशत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा।

परंतु यह भी कि केप्टिव उत्पादक संयंत्रों में उत्पादन यदि 01अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात् हुआ हो तो केप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का लक्ष्य वही होगा, जो इस संयंत्र के प्रारंभ होने के वर्ष के लिये लागू विनियम संबंधित वर्षों के लिए या ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित लक्ष्य जो भी अधिक हो,

परंतु यह भी कि इस दशा में जब किसी केप्टिव उत्पादन संयंत्र की क्षमता में कोई अभिवृद्धि हो तो उस वर्द्धित क्षमता के लिये नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का वही लक्ष्य लागू होगा, जो इन विनियमों में उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट हो, जिस वर्ष उस संयंत्र की क्षमता में अभिवृद्धि की जाये।

4.4 [1][ऐसा विद्युत क्रय, वितरण अनुज्ञप्तिधारिओं हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित टैरिफ पर अथवा एम.एन.आर.ई. द्वारा विहित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रकिया से हासिल की गयी कीमत पर की जाएगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारिओं द्वारा, आयोग के आदेशानुसार, जैव–ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों, राज्य में जैव–ईंधन के सह–दहन से तापीय विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत, लघु जलीय संयंत्रों, सौर विद्युत संयंत्रों के साथ निष्पादित मौजूदा दीर्घ–कालीन क्रय अनुबंध को ऊपर लिखित क्रय प्रतिबद्धता के मकसद की गिनती में गिना जाएगा।][1]

4.5 नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय की मात्रा दर्शाते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन स्त्रोतों को दर्शित करेगा जिनसे क्रय की विनिर्दिष्ट मात्रा नियोजित की गई है। जहाँ तक सम्भव हो सकेगा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने सम्बन्धित प्रदाय क्षेत्र में से ही प्रस्तावित विद्युत की मात्रा स्त्रोतगत् करेगा। तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की अनुपलब्धता क्रय दायित्व से छूट दिये जाने के लिए अथवा इन विनियमों के अनुसार वांछित क्रय में कमी करने के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

4.6 प्रत्येक ''दायित्वीकृत एकक'' नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति, स्वयं अपने उत्पादन से अथवा नवीकृत ऊर्जा विकासकर्ता से, विद्युत क्रय करके अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी से क्रय के माध्यम से अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रय करके अथवा उपरोक्त विकल्पों में किसी संयोजन के माध्यम से कर सकेगा।

4.7 ऐसा दायित्वीकृत एकक नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु समुचित भुगतान सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

1. विनियम क्रमांक 97/सी.एस.ई.आर.सी./2022 द्वारा दिनांक 31.12.2022 से प्रतिस्थापित

4.8 आयोग, दायित्वीकृत एकक के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को तीन वर्ष उपरान्त पुनरीक्षित करेगा। अनुच्छेद 4.3 के अधीन किया गया क्रय दायित्व तब तक वैध होगा जब तक इसे आयेाग द्वारा पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता।

4.9 अनुच्छेद 4.3 के अधीन क्रय दायित्व का अनुपालन न किया जाना इन विनियमों का उल्लंघन समझा जायेगा और अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

5. केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र–

5.1 इन विनियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धनों एवं शर्तो के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अधीन जारी प्रमाण पत्र, इन विनियमों में उल्लेखित अनिवार्य दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु वैध दस्तावेज़ (इन्स्टूमेंट) होंगे।

परन्तु, वर्ष 2013–14 को छोड़कर नियन्त्रण अवधि के दौरान, दायित्वीकृत एकक द्वारा प्रमाण पत्रों के क्रय के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करने की दशा में, गैर सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय करने का दायित्व, गैर सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा और सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का दायित्व सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा।

5.2 आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए, दायित्वीकृत एकक, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मान्यता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निबन्धन व शर्तें), विनियम, 2010 जिन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की पूर्ति के लिए प्रमाण पत्र क्रय हेतु प्राप्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुरूप कार्य करेगा।

5.3 दायित्वीकृत एकक द्वारा इन विनियमों के अनुच्छेद 5.1 और 5.2 के संदर्भो में केन्द्रीय आयोग द्वारा उल्लिखित विद्युत विनिमय से क्रय किये गये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (किसी सनदी लेखापाल से विहित रूप में सत्यापित) आयोग को दायित्वीकृत एककों द्वारा क्रय करने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी।

6. राज्य अभिकरण

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकाय अभिकरण (क्रेडा) को राज्य अभिकरण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की मान्यता और पंजीयन की सिफारिश करने के लिए अभिहित किया जाता है। क्रेडा इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कृत्य करेगा।

6.2 राज्य अभिकरण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में संचालित होगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन), विनियम, 2010 एवं इसके आने वाले संशोधनों अथवा अधिसूचित विनियम के अनुरूप कार्य करेगा।

6.3 राज्य अभिकरण, विभिन्न स्त्रोतों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों, दायित्वीकृत एककों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), मुख्य विद्युत निरीक्षक आदि से नियमित रूप से जानकारी संग्रह करने हेतु सम्यक् तौर तरीके (प्रोटोकॉल) विकसित करेगा और ऐसी जानकारी को दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्य अनुपालन की निगरानी हेतु संकलित एवं संयोजित करेगा।

6.4 विभिन्न दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन का संक्षिप्त विवरण राज्य अभिकरण द्वारा समेकित आधार पर त्रैमासिक रूप से अगले माह की पन्द्रहवीं तिथि तक अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

6.5 राज्य अभिकरण, दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय एवं दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अगले माह की पन्द्रहवी तिथि तक आयोग को त्रैमासिक स्थिति प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के लिए समुचित कार्यवाही का सुझाव आयोग को दे सकेगा।

6.6 यदि आवश्यक हो तो आयोग समय–समय पर इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य अभिकरण को देय पारिश्रमिक और शुल्कों को, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा।

6.7 यदि आयोग यह देखता है कि राज्य अभिकरण अपने कार्यो का सन्तोषजनक रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो वह सामान्य अथवा विशेष आदेश से, और कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अन्य अभिकरण को जिसे वह उचित समझे, राज्य अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अभिहित कर सकेगा।

6.8 आयोग द्वारा, एक आदेश के माध्यम से राज्य अभिकरण को कोई अन्य उत्तरदायित्व भी दिया जा सकेगा जो कि इस विनियम विनिर्दिष्ट कार्य को संपादित करने हेतु उचित समझा जावेगा।

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारीः–

7.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथा, पर्याप्त प्रमाण सहित आगामी वर्ष के लिए उसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय की जानी वाली विद्युत की मात्रा का उल्लेख, आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत दर याचिका/वार्षिक कार्य निष्पादन पुनरीक्षण प्रतिवेदन में करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की अनुमानित मात्रा, इन विनियमों के अनुच्छेद 4.1 एवं 4.3 के अनुसरण में आने वाले वर्ष हेतु अनुमोदित किये गये टैरिफ आदेश के अनुसार उस दशा में जहाँ, अनुज्ञप्त क्षेत्र में वास्तविक खपत (अनुच्छेद 4.1 एवं 4.3), आयेाग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश से भिन्न हो, वहाँ मिलियन यूनिट में नवीकरणीय क्रय दायित्व को इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दिये गये प्रतिशत के हिसाब से परिवर्तित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण– माना कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी 'अ' का वर्ष 2021–22 के लिए ई.एच.व्ही. विक्रय 3697.17 मिलियन यूनिट एवं एल. व्ही. तथा एच.व्ही. विक्रय 22370.70 मिलियन यूनिट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व का अनुमान 26067.87 मिलियन यूनिट के अनुसार होगा। इन अनुमानित आंकडों के अनुसार सौर ऊर्जा क्रय दायित्व 2737.12 मिलियन यूनिट (10.5 प्रतिशत), जलीय ऊर्जा क्रय दायित्व 46.92 मिलियन यूनिट (0.18 प्रतिशत) और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व 2737.12 मिलियन यूनिट होगा (10.5 प्रतिशत) होगा। इसके उपरांत वर्ष 2021–22 के खत्म होने उपरांत यदि वास्तविक ई.एच.व्ही. विक्रय 3600 मिलियन यूनिट एवं एल. व्ही. तथा एच.व्ही. विक्रय 24400 मिलियन यूनिट होती है जो कि वर्ष 2021–22 के टैरिफ आर्डर में अनुमानित आंकडों से भिन्न हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की गणना 28000 मिलियन यूनिट से होगी। अब इन वास्तविक आंकडों के हिसाब से वर्ष 2021–22 हेतु संशोधित सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व क्रमानुसार 2940 मिलियन यूनिट, 50.4 मिलियन यूनिट एवं 2940 मिलियन यूनिट होगी।

7.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कुल विद्युत की खरीदी, खपत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व हेतु क्रय की गई नवीकरणीय स्त्रोतो से खरीदी की गई ऊर्जा के संबंध में आवश्यक जानकारी मासिक रूप से राज्य अभिकरण को देनी होगी।

7.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के पालन हेतु किसी भी वर्ष में दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अथवा आर.ई.सी. को पिछले वर्षो के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के समेकित घाटे (बैकलॉग) को पूर्ण के पश्चात् ही परवर्ती वर्षो के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जाएगा। तथा पिछले वर्षो के कमी को पुरा करने के पश्चात यदि अधिक ऊर्जा बचता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई ऊर्जा को आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन के लिए ही विचार किया जायेगा।

7.4 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय की मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है तो वह इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार कार्यवाही का भागी होगा।

परंतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के अनुपालन के समय आयोग द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत दरों के निर्धारण में होने वाले भार को ध्यान में रखा जायेगा।

8. केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक

8.1 इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दर्शित नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा केप्टिव उपयोगकर्ताओं और मुक्त उपयोग ग्राहकों पर 1 अप्रैल 2021 से प्रयोज्य होगा। केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से, उपरोक्त अनुच्छेद 4 में दर्शाए अनुसार कर सकेंगे।

परन्तु केप्टिव उपयोगकर्ताओ एवं मुक्त उपयोग ग्राहक तब तक नवीकरणीय क्रय दायित्व से मुक्त रहेंगे जब तक कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की मात्रा तक जैसा कि विनियम 4.3 में वर्णित है, अगर जीवाश्म ईंधन पर आधारित को–जनरेशन आधारित विद्युत संयंत्र से खपत करते हैं।

8.2 प्रत्येक केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक को विद्युत की कुल खपत और नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय के बारे में आवश्यक विवरण मासिक आधार पर राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

8.3 केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के पालन हेतु किसी भी वर्ष में दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अथवा आर.ई.सी. को आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जाएगा।

8.4 यदि केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक इस मापदण्ड को पूरा करने में असफल रहते हैं तो लक्षित मात्रा में हुई कमी, इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार क्षतिपूर्ति को आकर्षित करेगी (देय होगी)।

8.5 यदि दायित्वीकृत एकक, एक विधि एकक का भाग है एवं राज्य के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में एक साथ विधि एकक द्वारा क्रय किये गये RPO को दायित्वीकृत एकक द्वारा RPO पूर्ण करने हेतु क्रय किया माना जायेगा।

9. चूक के परिणाम

9.1 यदि किसी वर्ष के दौरान दायित्वीकृत एकक, इन विनियमों के यथा उपबन्धित नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा नहीं करता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का क्रय भी नहीं करता है तो आयोग दायित्वीकृत एकक को निर्देशित कर सकेगा कि वह उतनी राशि के पृथक कोष को संधारित करें, जैसा कि आयोग द्वारा, नवीकरणीय क्रय दायित्व और केन्द्रीय आयोग द्वारा निश्चित अधिकतम मूल्य (फोरबियरेस प्राईस) मूल्य के आधार पर अवधारित किया जाए।

परन्तु, यह कि इस प्रकार निर्मित कोष का उपयोग आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा;

परन्तु, यह कि उपरोक्त के अनुपालन में निर्मित कोष का उपयेाग करने के लिए, बिना आयोग के पूर्वानुमोदन के, दायित्वीकृत एकक अधिकृत नहीं होंगे;

परन्तु, यह और कि आयोग, राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को विद्युत विनिमय से, दायित्व में कमी की सीमा तक, वांछित संख्या में प्रमाण पत्रों को इस कोष की राशि से क्रय करने हेतु, अधिकृत कर सकेगा।

परन्तु, यह भी कि दायित्वीकृत एकक अपना नवीकरणीय क्रय दायित्व भंग करता हुआ माना जाएगा, यदि वह आयेाग द्वारा निर्देशित राशि को, ऐसे निर्देश संसूचित करने के विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा कराने में असफल रहे।

परन्तु, यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की अनुपलब्धता या नवकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूर्ण करने में होने वाली वास्तविक कठिनाई की स्थिति में दायित्वीकृत एकक, अनुपालन आवश्यकता को मात्र अगले वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

आगे यह भी कि जहाँ आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, वहाँ ऐसे कोष को निर्मित करने के सम्बन्ध में ऊपर निर्दिष्ट कोष को निर्मित करने का प्रावधान प्रयोज्य नहीं होगा।

10. ग्रिड संयोजकता के लिए प्राथमिकता

10.1 कोई व्यक्ति, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन करता है, फिर भले ही स्थापित क्षमता कुछ भी हो, उसे मुक्त उपयोग, ग्रिड या वितरण प्रणाली से संयोजकता, जैसी कि प्रकरण हो, के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरणीय विद्युत परियोजना प्रारम्भ होने से पहले ही, यथासंभव, समुचित अन्तर्संयोजन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे अन्तर्संयोजन हेतु भारतीय मानक ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट संयोजकता–मानदण्डों और/अथवा केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा विहित तौर–तरीकों का पालन किया जाएगा।

11. नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा मूल्य तय करना

11.1 समस्त नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं, जो उपरोक्त अनुसार नियन्त्रण अवधि में प्रारम्भ हुई हों, के पास यह विकल्प रहेगा कि वे या तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारम्परिक स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की दर और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तो और निबंधनों का निर्धारण), विनियम 2019 और इसके समय–समय पर हुए संशोधनों/पुनरीक्षण का अनुपालन करें अथवा/और परियोजना से उत्पादित विद्युत के मूल्य निर्धारण की आर.ई.सी. प्रणाली को अपनाये।

परन्तु, ऐसे समझौते की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध के समापन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र स्कीम में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जबकि ऐसा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसने पहले ही प्रिफरेंसियल दर पर विद्युत विक्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध कर लिया है, वह समझौते के अपरिपक्व समाप्ति की दशा में किसी सक्षम आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कथित विद्युत क्रय अनुबन्ध में दर्शित शर्तों और निबंधनों के सारवान उल्लंघन के लिए उत्पादन कम्पनी के विरूद्ध कोई आदेश या व्यवस्था पारित कर दी गई हो।

परन्तु, ऐसी परियोजनाएं, जो या तो प्रिफरेंसियल टेरिफ अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली अथवा दोनों के मिश्रण से कोई विकल्प चयन करनी हैं, उन्हें सम्पूर्ण विद्युत दर अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबंध की वैधता, जो भी बाद में हो, जैसा कि समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारम्परिक स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का उत्पादन शुल्क और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तों और दशाओं का निर्धारण) विनयम, 2012 में दर्शाया गया है, तक चयनित मूल्यांकन प्रणाली को जारी रखना होगा।

परन्तु, यह और कि ऐसी नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मुक्त उपयोग ग्राहक, जैसा कि प्रकरण हो, से विद्युत क्रय अनुबन्ध के निष्पादन से पूर्व ही, चयन के विकल्प का प्रयोग करेंगी।

11.2 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली दो घटकों के मूल्यनियतन पर निर्भर है–नामतः, विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा घटक या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र घटक जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की संचालन अवधि में प्रभावी विद्युत घटक की दर वह होगी जो कि उस वितरण अनुज्ञप्तिधारक, जिसके कि क्षेत्राधिकार में ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, की पूर्ववर्ती वर्षों में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की गई औसत लागत क्रय दर होगी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का मूल्य वह होगा जैसा कि विद्युत विनियम के दौरान पाया जाता है।

स्पष्टीकरणः– इस विनियम के उदे्श्य से ''विद्युत क्रय का औसत साझा मूल्य'' का अर्थ है– वह मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पूववर्ती वर्ष में स्वयं के उत्पादन की लागत सहित सभी दीर्घावधि एवं लघु अवधि स्त्रोतों से विद्युत क्रय की हो परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय विद्युत सम्मिलित नहीं होगी।

परन्तु, यह कि केन्द्रीय आयोग, समय–समय पर केन्द्रीय अभिकरण और विनियामकों के फोरम के परामर्श से न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, सौर और गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा घटक) के लिए पृथक–पृथक, उपलब्ध करा सकेगा;

परन्तु, यह भी कि विद्युत क्षेत्र के अग्रेतर विकास के साथ–साथ विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की मूल्य नियतन प्रणालियॉं, आयोग द्वारा विचारित अन्तरालों, पर पुनरीक्षित की जाएगी।

11.3 मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दर, दर संरचना और अन्य शर्तें, आयोग द्वारा सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा दर आदेशों के अन्तर्गत पहले ही समाहित की जा चुकी है और इन्हें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 की नियन्त्रण अवधि के दौरान समय–समय पर यथा संशोधित रूप में जारी रखा जाएगा।

11.4 ऐसे उपभोक्ता, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से मुक्त उपयोग पद्धति से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त उपयोग विनियमों की शर्तो/अथवा आदेश के अनुसार क्रॉस–सब्सिडी प्रभार का भुगतान करना आवश्यक होगा।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

12.1 आयोग, या तो स्वतः या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, इन विनियमों को पुनरीक्षित कर सकेगा और इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावशील करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

13. छूट देने की शक्ति

13.1 आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से कारणों को अभिलिखित करते हुए, इन विनियमों से किन्हीं प्रावधानों को स्वयं अपनी ओर से अथवा उसके समक्ष किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, छूट प्रदान कर सकेगा।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव

[1][संलग्नक अ

जैव–ईंधन सह–दहन वाले कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों, जैव–ईंधन सह–दहन वाले स्वयं–उपभोग तथा सह–उत्पादन विद्युत संयंत्रों सहित, में जैव–ईंधन से उत्पादित विद्युत का प्राक्कलन करने की क्रियाविधि

अधो–विनिर्दिष्ट क्रियाविधि का अनुसरण उत्पादन कंपनिओं, राज्य भार प्रेषण केंद्र, जैव–ईंधन सह–दहन वाले कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों, जैव–ईंधन सह–दहन वाले स्वयं–उपभोग तथा सह–उत्पादन विद्युत संयंत्रों सहित, जैव–ईंधन से उत्पादित विद्युत का प्राक्कलन हेतु स्थापित राज्य अभिकरण के द्वारा किया जाएगा।

पायदान – 1:

1. जैव–ईंधन से उत्पादित विद्युत का प्राक्कलन, उत्पादन के सिरे पर मासिक आधार पर निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार किया जाएगा :

   ई.बी.(जी) = {(क्यु.बी. X जी.बी.) / (क्यु.सी. X जी.सी.) + (क्यु.बी. X जी.बी.) } X ई.(जी.टी.)

   जहाँ,

   ई.बी.(जी) = जैव–ईंधन से उत्पादन के सिरे पर माह के दौरान उत्पादित विद्युत (के.डबल्यु.एच)

   क्यु.बी. = माह के दौरान जैव–ईंधन की खपत (के.जी.)

   जी.बी. = माह में जैव–ईंधन की खपत की सकल कैलॉरिफिक वेल्यु(जी.सी.वी.) का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.) जैसा सी.एस.ई.आर.सी. आर.ई. टैरिफ विनियम में विनिर्दिष्ट है।

   ई(जी.टी.) = माह में उत्पादन सिरे पर उत्पादित सकल विद्युत ऊर्जा (के.डबल्यु.एच)

   क्यु.सी. = माह में ज्वलित कोयले का वजन (के.जी.)

   जी.सी. = माह में ज्वलित कोयले का जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)

2. गुणनफल (क्यु.बी. X जी.बी.), माह में जैव–ईंधन के रूप में खपी ऊष्मा (के.कैलॉरी में) को दर्शाता है। जिसका प्राक्कलन मासिक आधार पर निम्नलिखित सूत्रों को लगाकर किया जाएगा:

   क्यु.बी. X जी.बी. (के.कैलॉरी) = {जैव–ईंधन का प्रारंभिक शेष (के.जी.) X जैव–ईंधन के प्रारंभिक शेष का जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)} + {माह में प्राप्त जैव–ईंधन का वजन (के.जी.) X माह में प्राप्त जैव–ईंधन के जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)}

   – {जैव–ईंधन का अंतिम स्टॉक (के.जी.) X जैव–ईंधन के अंतिम स्टॉक का जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)}

3. गुणनफल (क्यु.सी. X जी.सी.), माह में कोयले के रूप में खपी ऊष्मा (के.कैलॉरी में) को दर्शाता है। जिसका प्राक्कलन मासिक आधार पर निम्नलिखित सूत्रों को लगाकर किया जाएगा :

   क्यु.सी. X जी.सी. (के.कैलॉरी) = {कोयले का प्रारंभिक शेष (के.जी.) X कोयले के प्रारंभिक शेष का जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)} + {माह में प्राप्त कोयले का वजन (के.जी.) X माह में प्राप्त कोयले के जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)}

– {कोयले का अंतिम स्टॉक (के.जी.) X कोयले के अंतिम स्टॉक का जी.सी.वी. का भारित औसत (के.कैलॉरी / के.जी.)}

पायदान – 2 :

4. जैव–ईंधन के उपयोग से उत्पादित एक्स–बस विद्युतीय ऊर्जा का प्राक्कलन मासिक आधार पर निम्नलिखित सूत्रों को लगाकर किया जाएगा :

   ई.बी.(एक्स–बस) = ई.बी.(जी){1–[(ई(जी.टी.)–ई.एस.ओ) / ई(जी.टी.)]}

   जहाँ,

   ई.बी.(एक्स–बस) = माह के दौरान जैव–ईंधन के उपयोग से उत्पादित एक्स–बस विद्युतीय ऊर्जा (के.डबल्यु.एच.)

   ई.बी.(जी) = माह के दौरान उत्पादन सिरे पर जैव–ईंधन के उपयोग से उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा, पायदान–1 में हासिल (के.डबल्यु.एच.)

   ई(जी.टी.) = माह के दौरान उत्पादन सिरे पर कुल उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा (के.डबल्यु.एच.)
   ई.एस.ओ = माह के दौरान कुल बहिर्गमित (एक्स–बस) ऊर्जा (के.डबल्यु.एच.)

5. उत्पादन कंपनी, हितग्राहिओं तथा जैव–ईंधन के उपयोग तथा अनुश्रवण पद्धति / जैव–ईंधन के उपयोग हेतु आंकडे प्राप्त करने की शक्ति से संबंधित राज्य अभिकरण को, जानकारी मुहैया कराएगी जैव–ईंधन एवं सह उत्पादन संयंत्रों हेतु सी.एस.ई.आर.सी. आर.ई. टैरिफ विनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी। राज्य अभिकरण, विद्युत उत्पादन संयंत्रों में जैव–ईंधन के सह–दहन से उत्पादित विद्युत का, सत्यापन करेगी।

उत्पादन स्थानकों के द्वारा संधारित, ईंधन तथा जी.सी.वी. का मासिक हिसाब, हितग्राहिओं तथा एस.एल.डी.सी. के प्राधिकृत प्रतिनिधि / ओं को मांगने पर मुहैया कराया जाएगा।][1]

1. विनियम क्रमांक 97 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2022 द्वारा दिनांक 31.12.2022 के द्वारा जोड़ा गया